

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2013/३१२

दिनांक:- ३०/५/१३

आदेश

मण्डल की 216 बैठक दिनांक 16.08.2012 के निर्णयानुसार मानसरोवर योजना के द्वारकादास मार्ग पर छोटे Bus stop cum. Bus bay के निर्माण के लिए 1500 वर्गमीटर भूमि (जिसमें 10 बसे खड़ी करने हेतु स्थल, एक सुलभ कॉम्प्लेक्स 4.50 मीटर X 4.50 मीटर एवं एक टिकट रूम 3.0 X 3.3 मीटर का निर्माण) हेतु लीज-किराये के तहत निम्नांकित शर्तों पर देने की स्वीकृत प्रदान की जाती है—

1. आदेश जारी होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि के लिये (लीज) किराये पर दी जाती है।
2. जे.सी.टी.एस.एल. को किराये पर दी जाने वाली उक्त भूमि पर स्वामित्व मण्डल का ही रहेगा जब तक अन्य परिस्थितिजन्य कारणों से भूमि का हस्तानतरण जे.सी.टी.एस.एल. को नहीं किया जाता हो एवं इस संबंध में हस्तानतरण की शर्तों तत्समय की परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित की जावेंगी।
3. जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा उक्त भूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित Bus stop cum. Bus bay के लिए किया जावेगा तथा भूमि को अन्य उपयोग में नहीं लिया जायेगा।
4. जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा उक्त भूमि का किराया के रूप में 100/- रु. प्रतिवर्ष मी. प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह के अन्त तक आवासन मण्डल को भुगतान किया जायेगा। अन्यथा मण्डल की गाईड-लाईन के अनुसार ब्याज एवं शास्ति का भुगतान भी जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा मण्डल को करना होगा। जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा प्रारम्भ के वित्तीय वर्ष का अनुपातिक किराया (Proportionate rent) का भुगतान भूमि का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 30 दिवस के भीतर मण्डल को किया जायेगा।
5. जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा प्रतिवर्ष गत वर्ष के किराये में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मण्डल को किराये का भुगतान किया जायेगा।
6. जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा उक्त भूमि का उपयोग उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा तथा 30 वर्ष के उपरान्त तत्समय के अनुसार मण्डल की शर्तों पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
7. उक्त 30 वर्षों के दौरान यदि किसी भी समय जे.सी.टी.एस.एल. का अवसायन अथवा किसी अन्य विभाग में विलय होने की स्थिति में उक्त भूमि मय समस्त निर्मित भवन एवं अन्य कार्य “जहां है, जैसा है” की स्थिति सहित पुनः मण्डल द्वारा अधिग्रहित कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए मण्डल द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. उक्त 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने एवं मण्डल द्वारा बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा भूमि मय निर्मित उद्यम व अन्य कार्यों सहित बिना किसी

पूर्वाग्रह के मण्डल को हस्तान्तरित की जायेगी तथा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान मण्डल द्वारा जे.सी.टी.एस.एल. को नहीं किया जायेगा।

संस्था द्वारा आवंटित की जाने वाली उक्त भूमि का अन्य किसी विभाग, संस्था अथवा फर्म/व्यक्ति और अन्य किसी के पक्ष में रहन, गिरवी, लाज, सब-लीज, हस्तान्तरण एवं सबलेट नहीं किया जा सकेगा।

अन्य शर्तें:-

1. उक्त भूमि पर किये जाने वाले निर्माण मण्डल के निर्धारित सेटबैक एवं नियमों के अनुसार मण्डल की स्वीकृति के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा उक्त भूमि का उपयोग आवंटन तिथि से 2 वर्ष की अवधि में सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर उक्त भूमि समस्त स्ट्रक्चर एवं फिक्चर्स सहित "जहां है, जैसा है" की स्थिति में आवासन मण्डल को वापस सुपुर्द किये जाने के लिए जे.सी.टी.एस.एल. बाध्य होगा।


उपरोक्त शर्तों के सम्बन्ध में उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय, जयपुर द्वारा जे.सी.टी.एस.एल. से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाकर भूमि का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा तथा शर्तों के अनुरूप ही भूमि का भौतिक कब्जा तथा निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(डॉ. आर. वेंकटेशन)
आवासन आयुक्त

संलग्न :- उपरोक्तानुसार नक्शे की प्रति

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, जे.सी.टी.एस.एल., द्वितीय तल, ओल्ड वर्किंग बुमेन होस्टल, नेहरू पैलेस के पीछे, लालकोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार/निदेशक-विधि/अति.मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश में दिये गये निर्देशों की तुरन्त प्रभाव से पालना कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
7. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-छ: / नवम, जयपुर।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर छलवाये व सभी को मेल करें।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक